

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा. / माध्यमिक / अ-2 / केमाशिबो / 2016-17

दिनांक :- 08/02/2017

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली-1100092

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के पत्रांक: प.14(8)शिक्षा-1/2009पार्ट-6, जयपुर, दिनांक: 07.02.2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में निम्नांकित 04 गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख वर्णित माध्यम के लिए एतद् द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989" एवं "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम-1993" तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निमाई जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989" एवं "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम-1993" के प्रावधानान्तर्गत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी :-

क्र.स.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	माध्यम
1	लक्की इण्टरनेशनल स्कूल जोधपुर	CBSE	अंग्रेजी
2	सेण्ट हरित विद्याश्रम हिरादेसर रोड़, भोपालगढ़, जोधपुर	CBSE	अंग्रेजी
3	पद्मावती कॉन्वेंट स्कूल कुँवारति, बुन्दी	CBSE	अंग्रेजी
4	हेरिटेज गर्ल्स स्कूल उदयपुर	CBSE	अंग्रेजी

Note:- The school and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(बी.एल.स्वर्णकार)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (गुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित मण्डल उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,.....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय).....
9. संबंधित विद्यालय
10. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर